



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना रमाला

दिनांक 15.07.2026

थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/26 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस से सम्बंधित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद

।

संक्षिप्त विवरण –

दिनांक 14.07.2026 को थाना रमाला पर वादिया ने लिखित तहरीर दी कि अभियुक्त ऋतिव उर्फ विशू पुत्र ओमपाल निवासी किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत द्वारा वादिनी के बेटे विनय की गोली मारकर हत्या कर दी गई है एवं धमकी देते हुए भाग गया। इस सम्बंध में प्राप्त तहरीर के



आधार पर थाना रमाला पर मु0अ0सं0 149/26 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस पंजीकृत किया गया।

कार्यवाही:-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना रमाला पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 149/26 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस से सम्बंधित 01 अभियुक्त को बाद पुलिस मुठभेड़ घायलावस्था में किया गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से घटना में प्रयुक्त 01 अवैध तमंचा .315 बोर व 02 खोखा कारतूस .315 बोर बरामद किए गए हैं। प्रकरण में अन्य आवश्यक वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता:-

ऋतिव उर्फ विशू पुत्र ओमपाल निवासी किशनपुर थाना रमाला जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण:-

- 01 अवैध तमंचा .315 बोर
- 02 खोखा कारतूस .315 बोर

गिरफ्तार ऋतिव उर्फ विशू का आपराधिक इतिहास -

1-मु0अ0सं0 62/26 धारा 3/25 आयुद्ध अधि0 थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-मु0अ0सं0 149/26 धारा 103(1)/351(3) बीएनएस थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-मु0अ0सं0 168/25 धारा 351(2)/109(1)/115(2)/333 बीएनएस व 3/25/27 आयुद्ध अधिनियम थाना दोघट जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

1-उ0नि0 श्री युवनीश कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

2-उ0नि0 श्री सनव्वर अली थाना रमाला जनपद बागपत ।

3-है0का0 134 विकास थाना रमाला जनपद बागपत ।

4-है0का0 775 उदय सिंह थाना रमाला जनपद बागपत

5-का0 718 अनित कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।

6-रि0का0 524 मनोज कुमार थाना रमाला जनपद बागपत ।



प्रेस नोट जनपद बागपत

दिनांक 15.07.2026

बागपत पुलिस ने 08 वारंटी अभियुक्तों को किया गिरफ्तार ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं वारंटी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत बागपत पुलिस ने 08 वारंटी अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार वारंटी अभियुक्तों का नाम व पता-

1. कय्यूम पुत्र अलीशेर निवासी निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
2. असर मौहम्मद पुत्र आस मौ0 निवासी निवाडा थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
3. अनिल पुत्र श्रीपाल निवासी पावला बेगमाबाद थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
4. सन्नी पुत्र मेन सिंह निवासी थाना कोतवाली बागपत जनपद बागपत ।
- 5-बन्टी पुत्र सन्दीप निवासी निकट शिव मन्दिर पट्टी अहीरान कस्बा व थाना खेकड़ा जनपद बागपत उम्र करीब 24 वर्ष
- 6-विनोद पुत्र पूरन नि0 काशीराम कालौनी कस्बा व थाना बडौत जनपद बागपत
- 7.अंकित पुत्र प्रमोद उम्र करीब 25 वर्ष निवासी ग्राम चित्तमखेडी थाना दोघट जनपद बागपत ।
- 8.एक महिला

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-थाना कोतवाली बागपत पुलिस टीम । (04 वारंटी)
- 2-थाना खेकड़ा पुलिस टीम । (04 वारंटी)



3- थाना बड़ौत पुलिस टीम । (01 वारंटी)

4- थाना दोघट पुलिस टीम । (02 वारंटी)



प्रेस नोट

थाना छपरौली

दिनांक 15.07.2026

थाना छपरौली पुलिस ने चैकिंग के दौरान एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, जिसके कब्जे से
01 अवैध तमंचा बरामद ।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम हेतु चलाये जा रहे ऑपरेशन शस्त्र अभियान के अन्तर्गत थाना छपरौली पुलिस द्वारा चैकिंग के दौरान बदरखा रोड करम्बा छपरौली से 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है । गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से एक अवैध तमंचा बरामद हुआ है।

उपरोक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना छपरौली पर मु0अ0सं0 155/26 धारा 3/25 आयुद्ध अधिनियम पंजीकृत किया गया आवश्यक कार्यवाही की जा रही हैं ।



महत्वपूर्ण सूचना:- बागपत पुलिस द्वारा सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति अवैध असलाह का प्रयोग न करें तथा अवैध व लाईसेन्सी असलाह का प्रदर्शन न किया जाए। यदि ऐसा कोई भी प्रकरण संज्ञान में आता है तो उसके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

साहिल पुत्र शमशाद निवासी ग्राम बदरखा थाना छपरौली जनपद बागपत ।

बरामदगी का विवरण

- एक अवैध तमंचा .315 बोर ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1-उ0नि0 रविन्द्री थाना छपरौली बागपत

2-उ0नि0 श्री सतेन्द्र सिंह थाना छपरौली बागपत

3-उ0नि0 537 प्रेमपाल थाना छपरौली बागपत

4-रि०का० 186 रोहित यादव थाना छपरौली बागपत



प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना दोघट

दिनांक 15.07.2026

**थाना दोघट पुलिस ने थाने के मु०अ०स० 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया 01 अभियुक्त को किया गिरफ्तार ।**

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.05.2026 को थाना दोघट पर मु०अ०स० 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम अभिषेक उर्फ फौजी पुत्र सतपाल निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली आदि के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । मुकदमा उपरोक्त में नामित अभियुक्तगण लगातार फरार चल रहे थे । अभियुक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शांति/इनामी अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे

अभियान के अंतर्गत थाना दोघट पुलिस द्वारा थाने के मु०अ०स० 164/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25 हजार रुपये के इनामी अभियुक्त अभिषेक उर्फ फौजी को गिरफ्तार किया गया है ।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना दोघट पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही

है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

अभिषेक उर्फ फौजी पुत्र सतपाल निवासी ग्राम भभीसा थाना कांधला जनपद शामली उम्र करीब 20 वर्ष

गिरफ्तार अभियुक्त अभिषेक उर्फ फौजी का अपराधिक इतिहास-

1-मु0अ0सं0 45/2024 धारा 457/380/411 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

2-मु0अ0सं0 52/2024 धारा 379/411/427 भादवि थाना दोघट जनपद बागपत

3-मु0अ0सं0 164/26 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट थाना दोघट जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1- उ0नि0 वीरेन्द्र सिंह थाना दोघट जनपद बागपत

2- है0का0 877 अनिल कुमार थाना दोघट जनपद बागपत

3- रि0का0 273 ओमवीर सिंह थाना दोघट जनपद बागपत





प्रेस नोट जनपद बागपत

थाना बडौत

दिनांक 15.07.2026

थाना बडौत पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 374/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में
वांछित 25 हजार रुपये के इनामिया 01 अभियुक्त सद्दाम पुत्र गुलशेर को किया
गिरफ्तार ।

संक्षिप्त विवरण:-

दिनांक 31.05.2026 को थाना बडौत पर मु0अ0सं0 374/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट बनाम 1.प्रदीप उर्फ सोनू पुत्र सुमेर सिंह निवासी ग्राम चाँदनहेडी थाना छपरौली जनपद बागपत, 2.इन्तजार पुत्र इस्लामुद्दीन निवासी ग्राम हलालपुर थाना छपरौली जनपद बागपत, 3.सद्दाम पुत्र गुलशेर निवासी पट्टी धनकौशिया कस्बा व थाना छपरौली जनपद बागपत के विरुद्ध पंजीकृत किया गया था । उपरोक्त अभियोग में थाना बडौत पुलिस द्वारा पूर्व से अभियुक्तों प्रदीप उर्फ सोनू, इन्तजार उपरोक्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चुका है। अभियुक्त की गिरफ्तारी पर श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत द्वारा 25 हजार रुपये का इनाम घोषित किया गया था ।



कार्यवाही-

श्रीमान पुलिस अधीक्षक बागपत के निर्देशन में बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम एवं शांतिर इनामी वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत थाना बडौत पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 374/2026 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25000 रुपये के इनामी 01 अभियुक्त सद्दाम पुत्र गुलशेर को गिरफ्तार किया गया है।

उपरोक्त गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना बडौत पर अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।

गिरफ्तार अभियुक्तों का नाम व पता

1- सदाम पुत्र गुलशेर निवासी पट्टी धनकौशिया करबा व थाना छपरौली जनपद बागपत ।

गिरफ्तार अभियुक्त का अपराधिक इतिहास-

- 1- मु0अ0सं0 559/25 धारा 303(2) ,317(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2.. मु0अ0सं0 719/25 धारा 303(2),317(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।
3. मु0अ0सं0 720/25 धारा 303(2),317(2)बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 4..मु0अ0सं0 721/25 धारा 303(2) ,317(2) बीएनएस थाना बडौत जनपद बागपत ।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 आरिफ अली थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 2-है0का0 233 गौतम थाना बडौत जनपद बागपत ।
- 3-का0 92 सचिन कुमार थाना बडौत जनपद बागपत ।



दिनाँक 15/07/26

थाना बालैनी पुलिस ने थाने के मु0अ0सं0 86/2026 धारा 351(2) बीएनएस व 9m/10 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया।

कार्यवाही-

बागपत पुलिस द्वारा जनपद में अपराधों की रोकथाम गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अन्तर्गत थाना बालैनी पुलिस द्वारा थाने के मु0अ0सं0 86/2026 धारा 351(2) बीएनएस व 9m/10 पोक्सो एक्ट में वांछित 01 अभियुक्त को गिरफ्तार किया गया है एवं अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है ।



गिरफ्तार अभियुक्त का नाम व पता-

रतीराम पुत्र बेगराज निवासी ग्राम अमीपुर बालैनी जनपद बागपत

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

- 1-उ0नि0 दीपिका यादव थाना बालैनी ।
- 2-उ0नि0 श्री रमेशचन्द थाना बालैनी ।
- 3-है0का0 657 अवधेश शर्मा थाना बालैनी ।
- 4-है0का0 341 वीरेन्द्र भाटी थाना बालैनी ।

